


1919
Spl. Sec.
O. S. D. (K)

कार्यालय :- नगर पंचायत, नासरीगंज (रोहतास)।

पत्रांक



कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत नासरीगंज।

महालेखाकार (ले0प0),
बिहार, पटना।

दिनांक

विषय:- अंकेक्षण-प्रतिवेदन सं0-45/2008-09 का लंबित अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय ,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अंकेक्षण-प्रतिवेदन सं0-45/2008-09 का लंबित अनुपालन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु सादर समर्पित।

विश्वासभाजन

(Handwritten signature)

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, नासरीगंज।

ज्ञापांक...32

दिनांक. 23-1-15

प्रतिलिपि:- सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।



(Handwritten signature)
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, नासरीगंज।

6
2090
104
13/2/15

50-7
13/1/15
(Handwritten signature)
600

कार्यालय :- नगर पंचायत, नासरीगंज (रोहतास)।

अंकेक्षण-प्रतिवेदन सं०-45/2008-09 का लंबित अनुपालन महालेखाकार (ले०प०) बिहार,

कंडिका

1. प्रस्तावना - प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं।
2. नगर पंचायत का गठन - प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं।
3. प्रशासन - प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं।
4. लेखा परीक्षा का परिक्षेत्र - प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं।
5. लेखा परीक्षा की प्रमुख उपलब्धियाँ

5.क्र०सं० -1. कंडिका 10 -	सुझाव के अनुसार प्रत्येक वर्ष का बजट तैयार कर विधि पूर्वक पारित कराकर सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
क्र०सं० -2. कंडिका 11 -	अनुदान एवं विनियोग पंजी का संधारण नियमित रूप से किया जा रहा है। अतएव इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
क्र०सं० -3. कंडिका 12 -	डी०पी०आर० तैयार किया जा चुका है। उक्त राशि का ब्यय विहित प्रयोजन हेतु करने की कारवाई की जा रही है। अतएव इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
क्र०सं० -4. कंडिका 13 -	पी०एल० खाता खोलने हेतु सरकार के संयुक्त सचिव वित्त विभाग बिहार, पटना से नगर पंचायत, नासरीगंज का पी०एल० खाता खोलने के लिए प्रस्ताव भेजने हेतु भवदीय को पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक-169 दिनांक 7.11.12 द्वारा अनुरोध पत्र भेजा गया है। जिसकी प्रति महालेखाकार कार्यालय में दी गई है। लेकिन प्राधिकार पत्र अबतक प्राप्त नहीं होने के कारण पी०एल० खाता अबतक नहीं खोला जा सका है। प्राधिकार पत्र प्राप्त होने पर पी०एल० खाता शीघ्र खोल दिया जाएगा। अतएव इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
क्र०सं० -5. कंडिका 14 -	चुकि निकाय चुनाव के किसी कार्य में नगर निकाय के किसी अधिकारी / कर्मचारी को शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए तत्कालीन प्रतिनियुक्त रिटर्निंग पदाधिकारी के निर्देशानुसार उक्त राशि की वसूली प्रखंड नाजिर द्वारा की गई। पुनः वह राशि नगर पंचायत के खाता में जता कर दी गई है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
क्र०सं० -6. कंडिका 16 -	नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अनुमति नहीं मिलने के कारण टिन टिकट की वसूली बंद कर दी गई। अतएव इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
क्र०सं० -7. कंडिका 17 -	राशि की वसूली हो रहा है। अतएव इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
क्र०सं० -8. कंडिका 18 -	दोनों राशि उचित शीर्ष में जमा कर दी गई है। अतएव इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
क्र०सं० -9. कंडिका 19 -	नियमित बहाली की अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण नियुक्त नहीं की गई है। कर्मी के पदस्थापन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। अतएव इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
क्र०सं० -10. कंडिका 20 -	उपर्युक्त राशि का भुगतान अग्रिम के रूप में किया गया था। बाद में उपर्युक्त राशि की कटौती कर्मचारियों के मानदेय से कर ली गई है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।


क्र०सं० -11. कंडिका 22 -	उल्लिखित सभी योजनाएँ पूर्ण कर ली गई है। अतएव इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
क्र०सं० -12. कंडिका 23 -	उपर्युक्त राशि की वसूली कर वाणिज्य कर विभाग के शीर्ष में जमा कर दी गई है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
क्र०सं० -13. कंडिका 25 -	मार्गदर्शिका की अनुपलब्धता के कारण तत्कालीन नगर पंचायत बोर्ड एवं कर्मियों को नियमों की जानकारी नहीं हो पाई। योजनाओं का चयन नगर पंचायत बोर्ड द्वारा किया गया है। सभी योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है। सुझाव के अनुसार राशि वसूली की कारवाई की जा रही है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
क्र०सं० -14. कंडिका 26 -	मार्गदर्शिका की जानकारी नहीं होने के कारण नियमों के अनुपालन में न्युन विचलन हुआ है। भविष्य में इसका ख्याल रखा जाएगा। सुझाव के अनुसार जाँच कि प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दोषी व्यक्ति से वसूली की कारवाई की जाएगी। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
क्र०सं० -15. कंडिका 27 - बकाया अग्रिम	अग्रिम पँची का संधारण किया जा रहा है। बकायें अग्रिम का समायोजन कर लिया गया है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
कंडिका 06 - अधिदृश्य	सुझाव के अनुसार आवश्यक कारवाई की जा रही है। करों एवं शुल्कों का अधिरोपण हेतु गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
कंडिका 07 - रोकड़ पँजी	सुझाव के अनुसार आवश्यक सुधार कर रोकड़ पँजी का संधारण किया जा रहा है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
कंडिका 08 - बैंक समाधान	रोकड़ बही और बैंक खाताओं के शेष का समाधान कर लिया गया है। अमले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाएगा। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
कंडिका 09 - आंतरिक लेखा परीक्षा	आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा की जाती है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
कंडिका 10 - बजट प्रावधान	प्रतिवेदन पृष्ठ सं० 1 पर अंकित है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
कंडिका 11 -	प्रतिवेदन पृष्ठ सं० 1 पर अंकित है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
कंडिका 12 -	प्रतिवेदन पृष्ठ सं० 1 पर अंकित है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
कंडिका 13 -	प्रतिवेदन पृष्ठ सं० 1 पर अंकित है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
कंडिका 14-	प्रतिवेदन पृष्ठ सं० 1 पर अंकित है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
कंडिका 11 -	प्रतिवेदन पृष्ठ सं० 1 पर अंकित है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
कंडिका 15 -	प्रतिवेदन पृष्ठ सं० 1 पर अंकित है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
कंडिका 16 -	प्रतिवेदन पृष्ठ सं० पर अंकित है।

	अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
कंडिका 17 -	प्रतिवेदन पृष्ठ सं० १ पर अंकित है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
कंडिका 18 -	प्रतिवेदन पृष्ठ सं० १ पर अंकित है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
कंडिका 19 -	प्रतिवेदन पृष्ठ सं० १ पर अंकित है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
कंडिका 20 -	प्रतिवेदन पृष्ठ सं० १ पर अंकित है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
कंडिका 21 -	वांछित राशि की वसूली निकाय के खाता में जमा कर दी गई है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
कंडिका 22 -	प्रतिवेदन पृष्ठ सं० २ पर अंकित है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
कंडिका 23 -	प्रतिवेदन पृष्ठ सं० २ पर अंकित है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
कंडिका 24 -	योजना पूरी कर ली गई है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए। आवंटित राशि का व्यय निर्धारित मद में कर लिया गया है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
कंडिका 25 -	प्रतिवेदन पृष्ठ सं० २ पर अंकित है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
कंडिका 26 -	प्रतिवेदन पृष्ठ सं० २ पर अंकित है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।
कंडिका 27 -	प्रतिवेदन पृष्ठ सं० २ पर अंकित है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए।

प्रतिवेदन सादर समर्पित।

अतः अनुरोध है कि अंकेक्षण की आपत्तियों का निरस्त करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन


कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, नासरीगंज।